

31/8  
22

प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित  
 नहीं। प्राची व प्राची अधिवक्ता  
 को सक-2 कर 3 बार आवान  
 लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं  
 आया। प्राची का प्राची पत्र अंतगत  
 धारा 212 इसी स्तर पर अदम  
 पेशी, अदम हाथरी में खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली गिनती  
 होकर गूम्बर से कम होकर वापिल  
 दफतर हो



⑤  
 अधिवक्ता (राजस्थान)  
 श्री [QR Code] पुर